

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वाले छोटे एवं बड़े व्यावसायकों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर चैकिंग अभियान चला कर अमानक पॉलिथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिष्ठानों पर जाये जाने पर चालानी कार्रवाई कर के निर्देश स्वच्छता निरीक्षकों को दिये। जिन वार्डों से सेप्रेगेशन में गीला एवं सूखा कचरा मिक्स आ रहा है उन वार्डों में कचरा संप्रग्रण वाहनों में गीला सूखा कचरा पृथक् पृथक् डस्टबीनों में डलवाये जाने की समझाईश भी दी। प्रमुख चौराहों एवं जिन स्थानों पर गीले एवं सूखे कचरे को डस्टबिन लगी हुई है उसकी निरंतर सफाई करें तथा जो डस्टबिन खराब हो रहें हैं या टूट पड़ी रहें हैं उनके बदलने एवं जिन स्थानों पर नये डस्टबिन लगाये जाने हैं की व्यवस्था पूर्णतरु सुधार के लिये स्वच्छता नोडल सौरभ त्रिपाठी को निर्देशित किया।